बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो

पत्रांकः– 03/बि0रा0स0नि0-08/2015-17 दिनांकः– 02.02.2026

प्रेषक,

सुनील कुमार, **भा0प्र0से**
निदेशक,नियोजन एवं प्रशिक्षण
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन, ब्यूरो, पटना।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में निदेशालय नियोजन के अंतर्गत बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो द्वारा प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) के रंगीन विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन की मूल प्रति की सी0डी0 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में निदेशालय नियोजन के अंतर्गत बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो से संबंधित रंगीन विज्ञापन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आधे–आधे पृष्ठ में प्रकाशित करने तथा पटना में पासपोर्ट कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित प्रमुख स्थानों पर एवं राज्य के सभी जिलों में समाहरणालय, रेलवे स्टेशन व सरकारी बस स्टैण्ड के पास, प्रमुख कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों में होर्डिंग/बैनर आदि रूप में प्रचार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–

(सुनील कुमार)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, पटना।

ज्ञापांक– 03/बि0रा0स0नि0-08/2015-17 पटना–01, दिनांक– 02.02.2026

प्रतिलिपिः1. माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।
2. सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।
3. श्री सुमित कुमार साह, उप निदेशक, प्रावै0 शिक्षा, नोडल पदाधिकारी e-advertisement Portal को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. श्रीमती प्रियेश नंदनी, आई0टी0मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो, पटना।

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार

रोजगार हेतु विदेश जाने वाले कामगार बंधुओं के लिए आवश्यक सूचना

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो द्वारा विदेश जाने के पूर्व अल्पकालीन निःशुल्क प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) कराया जाता है, जिसमें प्रवास करने वाले देश के श्रम कानून, प्रवासी रोजगार और संबंधित नियमों की जानकारी, अधिकार एवं जिम्मेदारियों के साथ देश के रीति-रिवाज एवं संस्कृति से अवगत कराया जाता है, जो आपके लिए विदेश में कार्य करने के दौरान सहायक होगा। इसलिए प्रशिक्षण उपरांत ही रोजगार के लिए प्रस्थान करें।

इमीग्रेशन क्लीयरेंस (EC) वाले देश जाने से पहले प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) अनिवार्य है।

रोजगार हेतु विदेश जाने के पूर्व कृपया इसे सुनिश्चित करें :-

1. रोजगार हेतु विदेश जाने से संबधित किसी भी प्रकार की सूचना नजदीकी नियोजनालय से प्राप्त की जा सकती है।
2. विदेश मत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत भर्ती करने वाले एजेंटों की सूची www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है, जिनके माध्यम से ही उत्प्रवास करे।
3. प्रस्थान से पहले नियोक्ता की पूरी जानकारी प्राप्त कर ही उत्प्रवास करें।
4. कभी भी वैध दस्तावेजों और वर्क वीजा के साथ ही यात्रा करें।
5. रोजगार अनुबंध को हस्ताक्षर करने से पहले अपने अधिकारो, जिम्मेदारियों, वेतन, कार्य की स्थितियों और विदेशी नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित की गई अन्य सुविधाओं के बारे में पढ़ कर अच्छी तरह समझने के उपरांत ही हस्ताक्षर करें और एक प्रति अपने पास रखें।
6. ध्यान रखें मेजबान देश मे आप उस देश के रोजगार के कानूनों द्वारा शासित होते हैं, इसलिए स्थानीय कानूनो, रीति-रिवाजों और परपराओ का सम्मान करे।

किसी प्रकार की समस्या होने पर :-

(i) नियोजित देश में स्थित भारतीय मिशन से संपर्क करें।

(ii) या MADAD पोर्टल https://madad.gov.in और प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्र के 24x7 helpline-011-26885021 या whatsapp सेवा 7428321144 पर संपर्क करें।

(iii) Tollfree No. 1800.11.3090 अथवा 0612-2521133 Protector of Emigrants, Patna पर सम्पर्क करें।

(iv) (1) E-mail ID-helplinemea@gov.in,
(2) poepatna@mea.gov.in अथवा
(3) bsopb-bih@gov.in पर सम्पर्क करें।

24/7 Support

प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) हेतु https://pdot.mea.gov.in पर लॉग इन करें। | Follow Us : @YESDBihar

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

रोजगार हेतु विदेश जाने वाले कामगार बंधुओं के लिए आवश्यक सूचना

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो द्वारा विदेश जाने के पूर्व अल्पकालीन निःशुल्क प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) कराया जाता है, जिसमें प्रवास करने वाले देश के श्रम कानून, प्रवासी रोजगार और संबंधित नियमों की जानकारी, अधिकार एवं जिम्मेदारियों के साथ देश के रीति-रिवाज एवं संस्कृति से अवगत कराया जाता है, जो आपके लिए विदेश में कार्य करने के दौरान सहायक होगा।

इमीग्रेशन क्लीयरेंस (EC) वाले देश जाने से पहले प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) अनिवार्य है।

विदेश जाने वाले कामगार निम्न संचालित केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

क्रम संख्या	PDOT केंद्र का नाम	पता	पदाधिकारी का नाम	संपर्क नंबर	ईमेल आईडी	प्रशिक्षण दिवस
1.	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर	संयुक्त श्रम भवन, एस के जे लॉ कॉलेज गन्नीपुर के नजदीक, मुजफ्फरपुर	श्री जैनेन्द्र कुमार (सहायक निदेशक)	8376832078	adsreemuz@gmail.com	प्रत्येक बुधवार
2.	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गयाजी	संयुक्त श्रम भवन, केन्दुई, गयाजी	श्रीमती रजिया इदरीसी (सहायक निदेशक)	7061821221	sreeogaya@gmail.com	प्रत्येक शुक्रवार
3.	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना	'ए' ब्लॉक, 6th फ्लोर, नियोजन भवन बेली रोड, बिहार, पटना	श्री अनीश तिवारी (नियोजन पदाधिकारी)	9507851379	sreepatna123@gmail.com	प्रत्येक मंगलवार
4.	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा	संयुक्त श्रम भवन, रामनगर, लहेरियासराय, दरभंगा	श्री नीतीश कुमार सिन्हा (सहायक निदेशक)	8210933480	adsreedarbhanga123@gmail.com	प्रत्येक गुरुवार
5.	जिला नियोजनालय, पश्चिमी चंपारण, बेतिया	हॉस्पिटल रोड महावीर एक्सरे रोड, बेतिया	श्रीमती शोभा कुमारी (जिला नियोजन पदाधिकारी)	7739048530	deo.bettiah.bih@gmail.com	प्रत्येक मंगलवार

प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) हेतु https://pdot.mea.gov.in पर लॉग इन करें। | Follow Us : @YESDBihar